मुन्तकिली प्रकरण सं0 46/2018 अनवानी 1. गुमनामराम पुत्र बिशनाराम 2. भागीरथ पुत्र पुरखाराम 3. विनोद कुमार पुत्र गोविन्दराम, जाति मेघवाल, निवासी 12ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. बुधादेवी पत्नि शंकर राम, 2 नारायणराम 3. कालूराम 4. मदनलाल 5. भागोबाई 6. लिछमाबाई 7. पानोबाई 8. मोहनी बाई पिसरान शंकरराम जाति मेघवाल निवासी 6 एमएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर व स्टेट जरिये उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.05.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में धारा 15 ए ए ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित एक मामला जो कि चक 6 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 334/431 में 24–10 बीघा व 334/432 की 23–10 बीघा कुल 48 बीघा भूमी का माफी कोटवाल से सम्बन्धित लम्बित है और उक्त भूमि 1931 में जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों को दी थी और तब से लेकर आज तक प्रार्थीगण का कब्जा में चला आ रहा हैं और इस सम्बन्ध में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील पेश की गई थी, जिसके निर्णय दिनांक 09.12.2015 के द्वारा उक्त मामला पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को रिमाण्ड किया गया, जो उनके समक्ष लम्बित है।

उनका आगे कथन है कि दिनांक 16.05.2018 को उक्त प्रकरण मे सुनवाई के दिन प्रार्थीगण अदालत में हाजिर हुए, तो रेस्पोडेंट का लड़का कालूराम अदालत से निकलता हुआ मिला और उसने प्रार्थीगण को इजलास में ही कह दिया कि कहीं मर्जी भाग लो, मुकद्दमा तो उनके पक्ष में ही होगा, तो छानबीन करने पर मालूम हुआ कि उक्त कालूराम तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है और उपखण्ड अधिकारी उसके प्रभाव में है, इसलिए उसे न्याय नहीं मिलेगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण का धारा 144 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र सन् 2016 से अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, जिसका निस्तारण करने के लिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पहले धारा 144 सीपीसी के उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावे, तो उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने सुनवाई न कर कहा कि वह इसी हफ्ते अगली तारीख पर निर्णय कर देगें, जिससे प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया कि उपखण्ड अधिकारी से उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता को उपखण्ड अधिकारी ने गत् पेशी पर ही बहस के लिए पाबन्द कर दिया था तो प्रार्थीगण के वकील ने कहा कि पहले धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निर्णय करो, तो अधीनस्थ न्यायालय ने उनके इस निवेदन हो अस्वीकार कर दिया, जिससे प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से उक्त प्रकरण संख्या 82/2010 अनवानी गुमानाराम बनाम बुधा देवी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री तेजा सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 82/2010 अनवानी गुमाना राम बनाम बुधा देवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण ने मुकद्दमा मुंतकिल के प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाया है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 का पुत्र कालूराम जो है, जो कि तहसीलदार, अनूपगढ का ड्राईवर है और उसके प्रभाव में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ है। इसलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। उक्त आरोप एक साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुन्तकिल का कोई ठोस आधार नहीं बनाता है ऐसा आरोप कभी भी किसी भी समय किसी भी अधिकारी पर लगाया जा सकता है। मुन्तकिली के लिए ऐसा कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो कि अगर प्रार्थीगण के प्रकरण को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल नहीं किया गया तो उसके साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित हो। अतः प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर